अम्तर्भ है, 2005 का (स्मारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखंड (1) में प्रकारित .

U.T.

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख: 28 सितम्बर, 2005

## अधिस्चना

केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार सीं० कां० नि० <u>347</u> केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (2) द्धारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्निलियत संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिनिखम की दूसरी अनुसूची में, -

(1) क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अद्योत :-

## "(15) सशस्त्र सीमा बल ।";

- (2) क्रिम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रतिन्द्रियों के पश्चात् निम्मिलिखिल क्रम संख्यांक और प्रतिन्द्रियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-
  - <sup>१</sup>(1.9) विशेष संरक्षा गुप ।
  - (20) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ।
  - (21) सीमा सड़क विकास बोर्ड ।
  - (22) विलीय आअूचना यूनिट, भारत ।"

[फा. सं. 34012/12(एस)/2005-स्था.(बी.)]

प्रवेद्धा सब्देश

(राकेश मल्होत्रा) अंदर सचिव, भारत संस्कार

रोवा में.

प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणाताय माठापुरी <u>नई दिक्ली।</u>

## [Published in Part II, section 3, sub-section (i) of the Gazette of India]

Dated 08th October, 2005

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi, dated the 28th September 2005

## **Notification**

GSR 347. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Second Schedule of the said Act, -

- (1) for S. No. 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:"(15) Sashtra Seema Bal.";
- (2) after S.No. 18 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely:-
  - "(19) Special Protection Group.
    - (20) Defence Research and Development Organisation.
    - (21) Border Road Development Board.
  - (22) Financial Intelligence Unit, India."

[File No. 34012/12(s)/2005-Estt.(B)]

Sd/

(Rakesh Malhotra)

Under Secretary to the Government of India

To
The Manager
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.